प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 29.11.2024

थाना वेवसिटी पुलिस द्वारा अवैध रुप से तोतों को तस्करी के लिए परिवहन करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से पिंजरे में बंद 200 तोते बरामद।

आज दिनांक 29.11.2024 को थाना वेवसिटी पुलिस को वादी श्री गौरव गुप्ता (P.F.A.) org (Animal welfare officer) से तोता तस्करी के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान IMS कॉलेज के पास डासना गाजियाबाद से बस रजि0 नं0 RJ09PA6882 के परिचालक महावीर सिंह पुत्र बजरंग लाल निवासी बड़ा गाँव कहार थाना मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर राजस्थान को गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे से करीब 200 जिन्दा तोते पिंजरे में बन्द बरामद किये गये। जिसके सम्बन्ध में वादी श्री गौरव गुप्ता (P.F.A.) org (Animal welfare officer) उपरोक्त की लिखित तहरीर के आधार पर थाना वेवसिटी पर अभियुक्त 1.शकील खान पुत्र शफीक खान निवासी D -98 गली नं0-7 अशोक मौहल्ला उत्तर पूर्वी दिल्ली थाना जाफराबाद, 2.तौफीक खान पुत्र शफीक खान निवासी म0नं0 89 बी सराय जहांगीर विलासपुर गेट रामपुर उत्तर प्रदेश, 3.बस नं0 RJ09PA6882 का परिचालक महावीर सिंह पुत्र बजरंग लाल निवासी बड़ा गाँव कहार थाना मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर राजस्थान द्वारा आपराधिक षडयंत्र कर अवैध रुप से तोतों की तस्करी करना, तोतों को घायल करने, वन्य जीव को बंदी बनाना व निर्दयतापूर्वक पिंजरों में ठूँस ठूँस कर भरने व अभियुक्त कंडक्टर महावीर सिंह पुत्र बजरंग लाल उपरोक्त द्वारा बस में अवैध रूप से तोतों को ले जाते हुए वादी एवं पुलिस टीम द्वारा पकड़े जाने व मौके से अभियुक्त 1.शकील खान तथा 2.तौफीक खान बस की खिड़की से भाग जाने एवं अभियुक्त परिचालक महावीर सिंह उपरोक्त को 02 लोहे के तारों के पिंजड़े में लगभग 200 हरे तोते जिन्दा के सहित गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में थाना वेवसिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

बस नं0 RJ09PA6882 का कंडक्टर महावीर सिंह पुत्र बजरंग लाल निवासी गाँव कहार थाना मलाना डूंगर जिला सवाई माधोपुर राजस्थान उम्र करीब 40 वर्ष।

बरामदगी की विवरण:-

करीब 200 हरे रंग के जिन्दा तोते पिंजरे में बन्द बरामद।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त कंडक्टर महावीर सिंह उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि दिनांक 28.11.2024 को मैं अपनी बस रजि0 नं0 RJ09PA6882 में 1.शकील खान पुत्र शफीक खान निवासी D 98 गली नं0 7 अशोक मौहल्ला उत्तर पूर्वी दिल्ली थाना जाफराबाद, 2.तौफीक खान पुत्र शफीक खान निवासी म0नं0 89 बी सराय जहांगीर विलासपुर गेट रामपुर उत्तर प्रदेश के द्वारा जनपद मुरादाबाद से करीब 200 तोते पिंजरों में बन्द कर लोड कराये गये। लालच में आकर मैं शकील खान एवं तौफीक खान उपरोक्त की बातों में आकर जनपद मुरादाबाद से जयपुर राजस्थान लेकर जा रहा था। तभी रास्तें में जनपद गाजियाबाद में पुलिस एवं एनजीओ की टीम द्वारा बस में तोते ले जाते समय मुझे पकड़ लिया तथा शकील खान एवं तौफीक खान उपरोक्त मौके से फरार हो गये।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना वेवसिटी पुलिस टीम एवं एनजीओ टीम